



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072020-220744
CG-DL-E-29072020-220744

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]
No. 370]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

सं. 20/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 474 (अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “ऐनिलिन या ऐनिलिन तेल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2921 41 10 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2020, जिसे 12 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- (i) कि प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देश से भारत को निर्यात सस्ते मूल्य पर किया गया है;
- (ii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति विषयगत देश से होने वाले पाटित आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए, विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा :—

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29214110	ऐनिलिन या ऐनिलिन तेल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	वाॅनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड	65.91	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	29214110	ऐनिलिन या ऐनिलिन तेल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	150.80	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	29214110	ऐनिलिन या ऐनिलिन तेल	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	150.80	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन किए जाने की तारीख से छः महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं किया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/80/2020—टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

No. 20/2020-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 474(E).—Whereas, in the matter of ‘Aniline or Aniline oil’ (hereafter in this notification referred to as the subject goods), falling under tariff item 2921 41 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereafter in this notification referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereafter in this notification referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/42/2019-DGTR, dated the 12th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th June, 2020, has provisionally concluded that-

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from subject country;

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29214110	Aniline or aniline oil	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	65.91	MT	USD
2	29214110	Aniline or aniline oil	China PR	Any country including China PR	Any producer other than mentioned in S.No. 1	150.80	MT	USD
3	29214110	Aniline or aniline oil	Any country other than China PR	China PR	Any	150.80	MT	USD

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/80/2020 –TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.